विवरण

वे राज्य परिवहन निगम जिनको वर्ष 1989–90 के दौरान घाटा हुआ है

1.	महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	-6642.88 लाख रु०
2.	आन्ध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम	-2062.63 लाख रु०
3.	केरल राज्य सड़क परिवहन निगम	-1956.88 लाख रु०
4.	उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम	-2474.81 लाख रु०
5.	कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम	-3779.17 लाख रु०
6.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	-634.86 लाख रु०
7.	बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम	-2806.35 लाख रु०
8.	पेप्सू सड़क परिवहन निगम	-1922.18 लाख रु०
9.	उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम	-585.39 लाख रु०
10.	दक्षिण बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगम	-463.73 लाख रु०
11.	हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम	-1763.88 लाख रु०
12.	असम राज्य सड़क परिवहन निगम	-1278.68 लाख रु०
13.	त्रिपुरा राज्य सड़क परिवहन निगम	-247.96 लाख रु०
14.	मणिपुर राज्य सड़क परिवहन निगम	-6.76 लाख रु०
15.	दिल्ली परिवहन निगम	-11984.56 लाख रु०
16.	कलकत्ता राज्य सड़क परिवहन निगम	-3248.58 लाख रु०
17.	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	-1945.00 लाख रु०
18.	मेघालय राज्य सड़क परिवहन निगम	-336.30 लाख रु०
19.	उत्तर बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगम	-378.33 लाख रु०
20.	जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	-1121.00 लाख रु०

डाक एवं तार विभाग में गैर-विभागीय व्यक्तियों को नियमित किया जाना

2417. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आशिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक एवं तार विभाग में अभी भी बड़ी संख्या में गैर-विभागीय व्यक्ति सब, पोस्टमास्टर, ब्रांच पोस्टमास्टर आदि पदों पर कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उनका वेतन इत्यादि किस मानदण्ड के आधार पर दिया जा रहा है और क्या उन्हें नियमित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 31.3.90 की स्थिति के अनुसार इनकी संख्या 2,98,246 है।

(ग) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के मूल भत्तों का निर्धारण उनके न्यूनतम और अधिकतम कार्यभार के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति यथासमय और उसी दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है। इस समय महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 51 प्रतिशत है।

उन्हें नियमित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

मध्य प्रदेश में डाकघरों को मुख्य डाकघर का दर्जा दिया जाना

248. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में किसी डाकघर को मुख्य डाकघर का दर्जा दिया जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्य राज्यों में स्थित ऐसे डाकघरों की संख्या की तुलना में मध्य प्रदेश में मुख्य डाकघरों की संख्या कितनी है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) मौजूदा विभागीय मानदंडों के अनुसार मध्य प्रदेश में किसी भी उप डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं बनता है।

(ग) मध्य प्रदेश में 52 प्रधान डाकघर हैं। अन्य राज्यों में प्रधान डाकघरों की सं० निम्नानुसार है :

1.	आंध्र प्रदेश	104
2.	असम	16
3.	बिहार	42
4.	दिल्ली	9
5.	गुजरात	42
6.	हरियाणा	15
7.	हिमाचल प्रदेश	17
8.	जम्मू और कश्मीर	9
9.	कर्नाटक	69
10.	केरल	51
11.	महाराष्ट्र (गोवा राज्य सहित)	63
12.	पूर्वोत्तर राज्य	9
13.	उड़ीसा	35
14.	पंजाब	22
15.	राजस्थान	55
16.	तमिलनाडु	93
17.	उत्तर प्रदेश	85
18.	पश्चिम बंगाल (अंडमान निकोबार द्वीप और सिक्किम राज्य सहित)	46

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए बजट प्रावधान

249. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बजट में कितना प्रावधान रखा गया है और उनमें से अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश में इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ ऐसे उपमार्ग भी हैं जो निर्माणाधीन हैं और उनके लिए बजट में क्या प्रावधान रखा गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 1991-92 के लिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए अनन्तिम तौर पर 1082.32 लाख रु० का प्रावधान किया गया है। अब तक 265 लाख रु० की राशि जारी की जा चुकी है और मई, 1991 तक 262.56 लाख रु० खर्च किए जा चुके हैं।